उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 428 –काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2011 – 35 वे०प्र० (30) / 1999 दिनांक 20 मई, 2011

समस्त मुख्य अभियंता, (स्तर-I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विषयः– यात्रा–भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के कार्मिकों को अनुमन्य यात्रा–भत्ता विषयक कारपोरेशनादेश सं० 582–वे०प्र०(30)/पाकालि/2002–35 वे०प्र०(30)/99 दिनांक 05 अक्टूबर, 2002 तथा उसके बाद समय–समय पर निर्गत कारपोरेशनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा–भत्ता आदि की दरों एवं व्यवस्था को निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नानुसार पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– यात्रा की अधिकृत श्रेणी :-

(अ)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ अब वायुयान/रेल से यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार होगी –

क्रम सं०	पावर कारपोरेशन में कार्यरत् कार्मिकों का ग्रेड वेतन/वेतनमान	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1–	वेतनमान रू० 63000/– वार्षिक वेतन वृद्धि 03 प्रतिशत की दर से रू० 78000/– एवं वेतनमान रू० 67000/– वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से रू० 79000/– तथा एच०ए०जी० व उससे अधिक वेतनमान	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
2–	ग्रेड वेतन रू० 10,000 तथा 8900	वायुयान का एकानॉमी क्लास/रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
3–	ग्रेड वेतन रू० 8700 तथा 7600	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि०मी० से अधिक की यात्रा पर वायुयान का एकानॉमी क्लास अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास

4–	ग्रेड वेतन रू० 6600 तथा 5400	रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी)/टू टियर अथवा शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित कुर्सीयान
5–	ग्रेड वेतन रू० 4800, 4600 तथा 4200	रेल का प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (थ्री टियर)/वातानुकूलित कुर्सीयान (शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर)
6–	ग्रेड वेतन रू० 4200 से कम	रेल की द्वितीय श्रेणी (शयनयान)

(ब)(I)– ऐसे स्थान जो रेल से न जुड़े हों, तक की यात्रा हेतु वातानुकूलित बस द्वारा यात्रा करने हेतु वे समस्त कारपोरेशन के कार्मिक अधिकृत होंगे, जो रेल की वातानुकूलित टू टियर श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी में रेल यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे। अन्य शेष कारपोरेशन के कार्मिक डीलक्स/साधारण बस द्वारा यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे।

(ब)(II)– रेल मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा सार्वजनिक वाहन से यात्रा एक स्तर ऊपर के अधिकारी द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य की जायेंगी कि कुल किराया सम्बन्धित कर्मचारी की अधिकृत श्रेणी के रेल किराये से अधिक न हो।

(स)- विदेश यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता हेतु पावर कारपोरेशन के कार्मिकों की वायुयान से यात्रा की अधिकृत श्रेणी निम्नानुसार होंगी –

कम सं०	**पावर कारपोरेशन में कार्यरत् कार्मिकों का ग्रेड वेतन/वेतनमान**	**यात्रा की अधिकृत श्रेणी**
1	**2**	**3**
1–	रू० 90,000 नियत तथा रू० 80,000 नियत वेतनमान	वायुयान की प्रथम श्रेणी
2–	वेतनमान रू० 63,000/– वार्षिक वेतन वृद्धि 03 प्रतिशत की दर से रू० 78,000/– एवं वेतनमान रू० 67,000/– वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से रू० 79,000/–	वायुयान की बिजनेस / क्लब क्लास
3–	शेष अन्य पावर कारपोरेशन के कार्मिक	वायुयान की एकॉनामी / सामान्य श्रेणी

2– <u>आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज)</u>

(I)– वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23(1) के अन्तर्गत पावर कारपोरेशन में कार्यरत् कार्मिकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) की दरें अब निम्नानुसार होंगी :–

कम सं०	**ग्रेड वेतन**	**आनुषंगिक व्यय**
1	**2**	**3**
1–	ग्रेड वेतन रू० 5400/– व अधिक तथा उच्च वेतनमान	35 पैसे प्रति किलो मीटर
2–	रू० 4800, रू० 4600, रू० 4200 तथा रू० 2800	25 पैसे प्रति किलो मीटर
3–	रू० 2800 से कम	15 पैसे प्रति किलो मीटर

(II)– वर्तमान परिवेश में वायुयान से यात्रा हेतु आनुषंगिक व्यय की प्रासांगिकता न रह जाने के कारण उक्त प्राविधान समाप्त किये जाते हैं।

3- दैनिक भत्ता

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23(सी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर अनुमन्य दैनिक भत्ते की दरें निम्नवत् होंगी –

क्रम सं०	पावर कारपोरेशन में कार्यरत् कार्मिकों का ग्रेड वेतन / वेतनमान	दैनिक भत्ते की दरें (रू०)		
		'क' वर्ग के नगरों के लिये जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी – कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद	'ख' वर्ग के नगरों के लिये जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी – मुरादाबाद, अलीगढ़, झाँसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रूखाबाद	साधारण दर (स्तम्भ–3) तथा 4 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये)
1	2	3	4	5
1–	रू० 8700 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	465	375	300
2–	रू० 7600, रू० 6600 तथा रू० 5400	420	330	270
3–	रू० 4800 व रू० 4600	360	285	240
4–	रू० 4200 व रू० 2800	300	240	195
5–	रू० 2800 से कम	195	150	120

(क)- उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित 'क' वर्ग के नगरों में रू० 5400/– या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले कारपोरेशन के कार्मिकों को अन्य संस्थान/होटल में ठहरने पर निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा :–

क्रम सं०	ग्रेड वेतन / वेतनमान	विशेष दैनिक भत्ते की दरें (रूपये में)
1	2	3
1–	ग्रेड वेतन रू० 8700/– व अधिक तथा उच्च वेतनमान	1200
2–	ग्रेड वेतन रू० 7600, रू० 6600 तथा रू० 5400 तक	900

(ख)- उत्तर प्रदेश के बाहर पावर कारपोरेशन के समस्त कार्मिकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ते अनुमन्य होंगे, जो उस स्थान के लिये केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है। यदि कारपोरेशन के कार्मिकों को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहाँ ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध हो, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा। यह दैनिक भत्ता तत्सम्बन्धी निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा

कि प्रदेश के बाहर के उन स्थानों पर उ०प्र० राज्य, सम्बन्धित स्थानीय राज्य अथवा अन्य किसी राज्य/प्रशासन के गेस्ट हाउस/ स्थान आदि की व्यवस्था उपलब्ध न हो सकी हो।

उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के यात्रा भत्ता विषयक आदेश सं० F.No. 19030/3/2008-E.IV, New Delhi, dated 23rd September, 2008 के साथ संलग्नक के प्रस्तर-3 में उल्लिखित यात्रा पर दैनिक भत्ता की दरें निम्नानुसार होंगी :-

Daily Allowance on Tour

Grade Pay	Daily Allowance
Officers drawing grade pay of Rs. 10,000/- and above and those in pay scales of HAG+ and above	Reimbursement for Hotel accommodation / guest house of up-to Rs. 5000, per day; reimbursement of AC taxi charges of up-to 50 kms. For travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 500 per day.
Officers drawing grade pay of Rs. 7600 to Rs. 8900	Reimbursement for Hotel accommodation of up-to Rs. 3000, per day; reimbursement of non-AC taxi charges of up-to 50 kms. per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 300 per day.
Officers drawing grade pay of Rs. 5400 to Rs. 6600	Reimbursement for Hotel accommodation of up - to Rs. 1500 per day; reimbursement of taxi charges of up-to Rs. 150 per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 200 per day.
Officers drawing grade pay of Rs. 4200 to 4800.	Reimbursement for Hotel accommodation of up-to Rs. 500 per day; reimbursement of travel charges of up-to Rs. 100 per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 150 per day.
Officers drawing grade pay of below Rs. 4200.	Reimbursement for Hotel accommodation of up-to Rs. 300 per day; reimbursement of travel charges of up-to Rs. 50 per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 100 per day.

(ग)- लखनऊ के कार्यालयों में लेखा सम्बन्धी कार्य तथा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में पावर कारपोरेशन के मुकदमें की पैरवी से सम्बन्धित कार्य हेतु इलाहाबाद/लखनऊ जाने वाले पावर कारपोरेशन के कार्मिकों को अतिरिक्त दैनिक भत्ता अनुमन्य कराने की व्यवस्था रही है। उक्त अतिरिक्त दैनिक भत्ते की दर अब रू० 100/- प्रतिदिन होगी।

4- <u>सड़क मील भत्ता</u>

पावर कारपोरेशन के कार्मिकों को सड़क द्वारा की गई यात्राओं के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23(बी)(2) में प्राविधानित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन देय सड़क मील भत्ते की दर अब निम्नानुसार होगी -

(I) रूपये 6600/– या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले पावर कारपोरेशन के कार्मिक :–

(क) मोटर कार/जीप आदि से प्रतिमाह 1200 कि०मी० तक की गई सड़क यात्राओं के लिये :–

क्रम सं०	यात्रा की दूरी	रुपये प्रति कि०मी०	
		पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
1	2	3	4
1–	प्रथम 500 कि०मी० तक	10.00	7.50
2–	500 कि०मी० से अधिक परन्तु 1200 कि०मी० तक	7.00	5.50

(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साईकिल/स्कूटर इत्यादि से की गई सड़क यात्राओं के लिये। — रू० 5/– प्रति कि०मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिये रूपये 1000/– से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(ग) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये। — रू० 1.80/– प्रति कि०मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिये रूपये 360/– से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(II) रू० 6600/– प्रतिमाह से कम ग्रेड वेतन पाने वाले पावर कारपोरेशन के कार्मिक :–

(क)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिये	रू० 5.00/– प्रति कि०मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिये रू० 1000/– से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ख)	पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये	रू० 1.80/– प्रति कि०मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिये रूपये 360/– से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(III) अल्प दूरी के यात्राओं (निवास स्थान/गन्तव्य स्थान से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के बीच) के लिये वास्तविक दूरी के आधार पर अब पावर कारपोरेशन के कार्मिकों को रू० 10/– प्रति कि०मी० की दर से सड़क मील भत्ता देय होगा।

5– स्थानान्तरण यात्रा भत्ता

पावर कारपोरेशन के कार्मिकों को जनहित में किये गये उनके स्थानान्तरण के अवसर पर स्वयं तथा उनके परिवार के लिये स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, घरेलू सामान को ले जाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तथा एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर निम्नानुसार होगी :–

(क)– घरेलू सामान की ढुलाई –

पावर कारपोरेशन के कार्मिकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–42(2)(1)(III) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। पावर कारपोरेशन के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में व्यक्गित सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब ग्रेड वेतन/वेतनमान के आधार पर निम्न सीमा के अधीन की जायेगी :–

(I) यात्रा यदि परिवार सहित की गई हो :–

पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन के आधार पर घरेलू सामान की ढुलाई हेतु स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ निम्न व्यवस्था रखी जायेगी –

क्रम सं०	पावर कारपोरेशन के कार्मिकों का ग्रेड वेतन / वेतनमान	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये अनुमन्य अधिकतम सीमा
1	2	3
1–	रू० 5400 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	6000 कि०ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन
2–	रू० 4800 तथा रू० 4600	3000 कि०ग्रा०
3–	रू० 4200 तथा रू० 2800	2500 कि०ग्रा०
4–	रू० 2800 से कम	1250 कि०ग्रा०

(II) यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो :–

यदि स्थानान्तरण के बाद पावर कारपोरेशन के कार्मिक द्वारा स्वयं अकेले यात्रा की गयी हो तो उस स्थिति में उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित भार का 2/3 भाग अधिकतम देय होगा।

(ख)– <u>एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट) / पैकिंग भत्ता</u>

पावर कारपोरेशन के कार्मिकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में उन्हें एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था तथा जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर पैकिंग भत्ता अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था निम्नानुसार संशोधित दरों पर बनी रहेगी :–

(I)– जनहित में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित पावर कारपोरेशन के कार्मिकों को आधे माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि अनुमन्य होगी।

(II)– जनहित में एक जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट अनुमन्य नहीं होगी, उसके स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा :–

क्रम सं०	ग्रेड वेतन / वेतनमान	पैकिंग भत्ते की दर (रूपये में)
1	2	3
1–	रू० 4200/– ग्रेड वेतन तथा इससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	रू० 1500/–
2–	रू० 4200/– से कम ग्रेड वेतन	रू० 750/–

2. यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरें एवं व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी। यह व्यवस्था उन सभी यात्राओं तथा उनसे सम्बन्धित अवस्थानों (Halt) पर लागू होगी, जो इस आदेश निर्गत होने की तिथि को या उसके पश्चात् प्रारम्भ हुई हों, परन्तु जिन विषयों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी दरों/आदेशों के अनुसार यात्रा–भत्ता आहरित किया जा चुका हो, उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

3. शेष अन्य विषय, जो इन आदेशों से आवरित नहीं हुए हैं, वे वित्त संहिता खण्ड–3 में निहित प्राविधानों के अनुरूप यथा निस्तारित किये जायेंगे।

4. परिषदादेश सं० 482–पीएफपी/29 दिनांक 30.11.1989 में वर्णित यात्रा भत्ता सम्बन्धी अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

सं० 428 – (1) काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2011 – तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा० का० लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
4. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा ।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड , महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि0, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
11. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
15. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(विनय किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)